उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 199 वीं बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 2007 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 199वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री मोहिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे :–

1	श्री मोहिन्दर सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
5	श्री अनिल सन्त	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
6	श्री मुकुल जोशी	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव,सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
7	श्री राजकुमार गर्ग	प्रतिनिधि निदेशक, सी.बी.आर.आई, रूड़की	सदस्य
8	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
9	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
10	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
199/1	परिषद की 198वीं बैठक दिनांक 21.07.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
199/2	परिषद की 198वीं बैठक दिनांक 21.07.2007 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

199/3	परिषद हेतु सदस्य तथा तदनुसार माननीय उपाध्यक्षगणों को मानदेय के भुगतान हेतु मानदेय मद की धनराशि को पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

199/4	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ (बस्तौली गाजीपुर) में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सईदुलनिशा खसरा सं0 563 व 564 में समाविष्ट 6400 वर्गफीट भूमि समायोजित करने के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त करते हुए निर्देश दिया गया की शासन को तद्नुसार पूर्ण स्थिति से सूचित कर दिया जाये।
199/5	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरठिया के खसरा 550 की 125x45 वर्गफुट भूमि को योजना में समायोजित/अर्जनमुक्त किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
199/6	भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार द्वारा घोषित नीति 2003 व राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत नीति को परिषद स्तर पर भी लागू (अंगीकृत) करने के संबंध में।	निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत की गयी नीति का आवास विकास परिषद के कार्यकलाप के परिपेक्ष्य में Clause By Clause परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

199/7	प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन/ लैण्ड असेम्बली के विकास के अधीन परिषद द्वारा निजी विकास कर्ताओं को (इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम) के अन्तर्गत पंजीकरण/लाइसेन्स निर्गत किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि विकासकर्ता द्वारा ली जा रही भूमि निरन्तरता में (Contiguous) होनी चाहिए, किसी प्राधिकरण क्षेत्र/अन्य अधिसूचित क्षेत्र कें अन्तर्गत स्थित नही होनी चाहिए तथा विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार देय लाइसेन्स फीस जमा करनी होगी।

प्रशासन अनुभाग

199/8	परिषद में आरक्षण बैकलाग कोटा पूर्ण किए जाने हेतु अधिसंख्या पदों के सृजन के संबंध में।	प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
199/9	चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

199 / 10	परिषद कर्मियों को 1 जुलाई, 2006 से शासकीय कर्मियों की भाँति मँहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 11	परिषद कर्मियों को 01 जनवरी, 2007 से शासकीय कर्मियों की भाँति मंहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 12	अधीक्षण अभियंता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	मद संख्या 35 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही।
199 / 13	परिषद में संहत वेतन पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों को शासन से स्वीकृत वेतनमान रू0 5000–8000 प्रदत्त किए जाने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 14	निजी सचिव का वेतनमान संशोधित किए जाने विषयक।	शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 15	श्री आर0एन0सोनकर, सहायक लेखाधिकारी द्वारा आदेश संख्या 215/सतर्कता–54 /2003 (1558) दिनांक 18.05.05 में पारित दण्डादेश में दिए गए दण्डों को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत अपील के संबंध में।	प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डादेश एवं समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपील बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 16	पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के कम में तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक व सहायक उद्यान निरीक्षक का वेतनमान दि0 01.01.1996 से पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 17	श्री देवकीनन्दन वर्मा, अवर अभियंता द्वारा आदेश संख्या 243/सतर्कता–43/2002 (1604) दिनांक 9.3.2004 में पारित दण्डादेश में दिए गए दण्ड को समाप्त किए जाने हेतु अपील।	प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डादेश एवं समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपील बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

संपत्ति प्रबंध एवं पंजीकरण अनुभाग

199 / 18	आम्रपाली योजना लखनऊ में माननीय राज्य मंत्री श्री अब्दुल मन्नान को आबंटित भूखण्ड संख्या ई–6/एमएल–6 के स्थल पर विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भूखण्ड का आवंटन नगद पद्धति पर मानते हुए ओ0टी0एस0 की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया।

199 / 19	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र सचान के पक्ष में आबंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी–1851 एवं भवन संख्या सी–1853 के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में।	निर्देशित किया गया कि वित्त नियंत्रक द्वारा पुनः परीक्षण कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
199 / 20	केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक संस्थाओं को बल्क सेल के माध्यम से भूमि आबंटित करने के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 21	परिषद की योजनाओं में सहकारी आवास समितियों को संपत्तियों के आरक्षण के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
199 / 22	परिषद की यू0पी0आई0एल0 कैम्पस ऐशबाग लखनऊ में डा0 विनोद तिवारी, माननीय विधायक पूर्व राज्य मंत्री को आबंटित फ्लैट संख्या–टीएफ–421 के विरुद्ध देय ब्याज को माफ करने के संबंध में।	ओ0टी0एस0 की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 23	परिषद की राजाजीपुरम योजना में बोधिसत्व बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर विकास संस्थान, राजाजीपुरम, लखनऊ को आबंटित भूखण्ड की दर में संशोधन किए जाने के संबंध में।	आवास आयुक्त को परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लेने हेतु अधीकृत किया गया।
199 / 24	फतेहपुर योजना स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या 609 के ब्याज / दण्ड ब्याज माफी के संबंध में।	ओ0टी0एस0 की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

199 / 25	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.05.2007 को 11.00 बजे तिलकहाल में वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के संबंध में किये गये संबोधन का कार्यवृत्त।	शासनादेश को अंगीकृत करते हुये अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 26	श्री कृपा शंकर, सहायक अभियंता को कार्यालय आदेश संख्या 121 / अनु0–37 / 2003 (1641) दि0 14.5.2007 द्वारा दिए गए दण्डों के विरिुद्ध प्रस्तुत उनकी अपील पर विचार करने के संबंध में।	प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डादेश एवं समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपील बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 27	श्री कौशल किशोर, सहायक अभियंता द्वारा आदेश संख्या 1027 / सत0–38 / 2004 दि0 21.9.2004 द्वारा प्रदत्त "निन्दा प्रविष्टि" को समाप्त कर निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन–भत्ते भुगतान करने के संबंध में।	प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डादेश एवं समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपील बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 28	श्री भूप लाल, अवर अभियंता को कार्यालय आदेश संख्या 120 / अनु0–37 / 2003 (1641) दि0 14.5.2007	प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया तथा विभागीय कार्यवाही

	द्वारा दिए गए दण्डों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर विचार करने के संबंध में।	के अन्तर्गत दण्डादेश एवं समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अपील बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

199/29	वृन्दावन योजना संख्या–3 व 4 लखनऊ तथा मझोला योजना संख्या–4 भाग–2, मुरादाबाद में कम मूल्य के दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु स्थानीय निकाय द्वारा ग्राम समाज/नजूल की भूमि का मूल्य न लिये जाने एवं भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	सैद्धन्तिक सहमति देते हुये निर्णय लिया गया कि नजूल/ग्राम समाज की भूमि का मूल्य नगर निगम लखनऊ व नगर निगम मुरादाबाद द्वारा न लिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।
199/30	बीबीखेड़ा लखनऊ की कैटिल कालोनी में 309नग दुर्बल आय वर्ग के भवन रूपये 1.70 लाख में दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियो को देने एवं इसके अवशेष क्षेत्र के भूखण्डो की दर रू0 1175.00के स्थान पर रू0 2050.00 प्रति वर्गमीटर किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

199/31	परिषद की जी0टी0रोड बाईपास भूमि विकास एवं ग्रहस्थान योजना, वाराणसी स्थित मौजा भदवर में हैरिटेज अस्पताल की भूमि को अर्जन मुक्त करने के सम्बंध में ।	योजना शीघ्र संचालित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। हैरिटेज अस्पातल हेतु कुल भूमि 50017 वर्ग मी0 का भू–उपयोग परिवर्तन करा लिया जाता हैं तो अस्पताल हेतु भूमि को अर्जन से पृथक करने की संस्तुति सहित शासन को संदर्भित किया जाये।
199/32	दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग योजना गाजियाबाद में प्रभावित क़ाश्तकारो को आपसी समझौते के आधार पर दुकान आवंटित करने के सम्बन्ध में।	करार नियमावली के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण के समय यदि किसानों की मांग व सहमति के आधार पर योजना के संचालन व परिषद हित में दुकान आवटंन भी आवश्यक पाया जाता है तो इस पर परिषद की ओर से

		नियमानुसार सहमति देने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
199 / 33	श्री सरफराज अहमद सेवा निवृत्त वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक को परिषद में अनुबंधित रुप से कार्य करने पर रखे जाने के संबंध में।	शासन को सन्दर्भित है प्रतीक्षा की जाये।
199 / 34	श्री सोहन लाल, सहायक अभियंता (अनुसूचित जाति) का सहायक अभियंता पद पर दिनांक 7.07.1987 से प्रोन्नति एवं वरिष्ठता प्रदान किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
199 / 35	अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
199 / 36	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	–

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अनिल सन्त)
(आवास आयुक्त)

(मोहिन्दर सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष